कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
(उद्यान प्रभाग)
कार्यालय – जिला उद्यान पदाधिकारी, गढ़वा
(संयुक्त कृषि भवन, गढ़वा प्रथम तल पिपराकलां)

आवेदन आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्यादेश सं0 40 रॉची दिनांक 16-07-2024 द्वारा प्राप्त भौतिक लक्ष्य के आलोक में राज्य उद्यान विकास योजनान्तर्गत उप योजना उद्यान विकास की योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य अवयव का सफल क्रियान्वयन किये जाने के उद्देश्य से कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि गढ़वा जिला में निम्नांकित रूप से उद्यान विकास की योजना का कार्यान्वयन किया जाना है, जिसके लिए योजनानुसार अवयववार निर्धारित अनुदान पर योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। इच्छुक कृषक/स्वंय सहायता समूह/कृषक उत्पादक समूह (FPO)/ सहकारी समिति/सखी मंडल जो योजना अवयव का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपना आवेदन मुखिया/जन प्रतिनिधि एवं संबंधित प्रखण्ड के बी.टी.एम/ए.टी.एम./उद्यान मित्र से अनुशंसा कराकर 04-08-2024 तक कार्यालय अवधि में कार्यालय जिला उद्यान गढ़वा में जमा कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु विवरणी निम्न प्रकार है–

क्रं0	कार्य अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य		कुल भौतिक लक्ष्य	अभ्युक्ति
		OSP	SCSP		
1	बागवान/उद्यान मित्र/कृषक को 5 दिवसीय प्रशिक्षण	300 सं0	80 सं0	380 सं0	विभाग द्वारा चयनित बागवान/उद्यान मित्र/कृषकों को 5 दिवसीय उद्यानिकी प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा।
2	युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण	15 सं0	4 सं0	19 सं0	विभाग द्वारा चयनित कृषकों को 25 दिवसीय माली का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा।
3	मिर्चा की खेती	25 हे0	10 हे0	35 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
4	ओल की खेती	25 हे0	10 हे0	35 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा अधिकतम सहायता अनुदान प्रति हेक्टेयर 0.40 लाख का बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
5	अदरख की खेती	15 हे0	6 हे0	21 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
6	कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई	16 इकाई	4 इकाई	20 इकाई	चयनित लाभुकों को 75 प्रतिशत अुनदान पर आधारभूत संरचानाओं का अधिष्ठापन कराया जायेगा।
7	खुले वातावरण में फुलों की खेती	40 हे0	10 हे0	50 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर पौध/कंद सामग्री उपलब्ध कराया जायेगा।
8	टिशुकल्चर केला की खेती	10 हे0	2 हे0	12 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा अधिकतम सहायता अनुदान प्रति हेक्टेयर 0.60 लाख का बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
9	गृह वाटिका की स्थापना (प्रति इकाई 25 डिसमिल)	25 इकाई	10 इकाई	35 इकाई	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा पौध एवं INM/IPM निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
10	सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण	200 हे0	80 हे0	280 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा अधिकतम सहायता अनुदान प्रति हेक्टेयर 0.10 लाख का बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
11	मशरूम कीट वितरण (इकाई में)	2490 सं0	900 सं0	3390 सं0	इस योजना अंतर्गत अति निम्न वर्गीय SC/ST एवं अन्य गरीबी रेखा BPL से निचे गुजर बसर करने वाले भूमिहीन लोगों को निःशुल्क योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
12	मशरूम पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण	83 सं0	30 सं0	113 सं0	क्रमांक 11 अंतर्गत चयनित लाभुकों को निःशुल्क 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
13	पपीता की खेती (प्रति पौधा 5 रू0)	15000 सं0	5000 सं0	20000 सं0	कृषकों के द्वारा स्वंय पौध रोपन के पश्चात् 5 रूपये प्रति पौध की राशि का भुगतान किया जायेगा।
14	टिशुकल्चर स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती	10 हे0	5 हे0	15 हे0	चयनित कृषकों को विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर पौध सामग्री उपलब्ध कराया जायेगा।
15	गुणवत्तायुक्त फुल, फल पौध बिचड़ा उत्पादन (सैंपलिंग नर्सरी)	20 सं0	10 सं0	30 सं0	चयनित लाभुकों को 75 प्रतिशत अुनदान पर सैंपलिंग नर्सरी की सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी।

नोटः– आवेदन साथ संलग्न कागजात निम्न प्रकार है।

1. आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटों।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अद्यतन भू–लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र में मुखिया/जन प्रतिनिधि एवं संबंधित प्रखण्ड के बी.टी.एम/ए.टी.एम./उद्यान मित्र का अनुशंसा अनिवार्य होगा।
6. आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए अधूरा भरा हुआ आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
7. लाभुकों के चयन में दोहरीकरण नहीं करते हुए नये ग्राम/पंचायतों के नये कृषकों का चयन किया जाएगा।
8. पूर्व के लाभुकों को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
9. कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई का लाभ वैसे कृषकों को दिया जाएगा जिसके पास जमीन का कागजात के संदर्भ में भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा चेक स्लिप अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत हो।
10. गृह वाटिका का लाभ वैसे कृषकों को दिया जाएगा जिसके घर के समीप न्यूनतम 25 डिसमील भूमि खाली हो तथा सिंचाई योग्य प्राप्त पानी की सुविधा हो।

जिला उद्यान पदाधिकारी,
गढ़वा।